फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	08/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र आपत्ति बाबत कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/09/25 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	15/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस आपत्ति बाबत कुरेजात रिपोर्ट के तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 की ओर से आपत्ति (कुरेजात रिपोर्ट) प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया गया है कि न्यायालय हाजा की ओर से पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित करते हुए व पक्षकारान की उपस्थिति में आवागमन, मूलभूत सुविधाओं व पक्षकारान के कब्जे बाबत के [illegible] विधिक विभाजन अनुसार कुरेजात प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में ना तो पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा विधिवत नोटिस ही जारी किया गया, ना ही पक्षकारान की उपस्थिति में उक्त कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। अपितु प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट हेतु ना तो तहसीलदार Sd/-	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	15/09/25	आमेर, गिरदावर अथवा पटवारी हल्का ही मौके पर आये, ना ही प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मौके पर तथा ना ही मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है। जिसके अन्तर्गत विधिक विभाजन के प्रावधानों की भी समुचित पालना नहीं की गई है तथा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मात्र वादीगण की उपस्थिति में उनकी सुविधानुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 186 (सम्पूर्ण) व खसरा नं. 178 को 178/1 के रूप में विभक्त कर वादीगण के हिस्से में प्रदर्शित/प्रस्तावित कर दिया गया है तथा उक्त खसरा नं. 178 के पश्चिम दिशा में नवीन खसरा नं. 178/2 मात्र रकबा 0.02 हे. के रूप में कायम कर प्रतिवादीगण के हिस्से में प्रस्तावित किया गया है जिसके बाबत कोई पृथक से रास्ता भी प्रस्तावित नहीं किया गया है जबकि प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि को वादीगण के प्रस्तावित हिस्से की भूमि के पूर्व दिशा में खसरा नं. 221, 222, 223 के रूप में प्रतिवादीगण के शामलाती हिस्से के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है तथा खसरा नं. 178/2 को रकबा 0.02 हे. के रूप में शामलाती रूप से व विपरीत दिशा में प्रस्तावित किया गया है। जिसका ~~कोई~~ विधिक आधार पर कोई औचित्य ही नहीं है तथा प्रतिवादीगण समस्त को शामलाती रूप से हिस्सानुसार प्रदर्शित किया गया है जबकि तहसीलदार आमेर द्वारा सभी पक्षकारान का पृथक पृथक विभाजन अनुसार Sd/-	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	15/09/25	कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। जबकि तहसीलदार आमेर द्वारा मात्र वादीगण का हिस्सा पृथक करते हुए कुरेजात प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत भी तैयार किया गया है। जिससे प्रस्तुत कुरेजात प्रस्ताव विधिनुरूप नहीं होने से निरस्त फरमाया पुनः विधिसम्मत कुरेजात प्रस्ताव तलब फरमाया जावे। प्रार्थी प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 सगे भाई है। जिससे मौके पर खसरा नं. 221 व 222 पर ख.नं. 379 से उत्तर की तरफ स्थित आम रास्ते को छोड़कर मौके पर काबिज काश्त रहकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। इस कारण आम रास्ते से उत्तर की तरफ खसरा नं. 222 व 221 में दक्षिण से उत्तर लम्बाई में विभाजन कराने के अधिकारी है तथा उक्तानुसार ही विधिक विभाजन (काई मीटस एंड बाउण्ड्स) किया जाना अपेक्षित है। जिसके प्रार्थी प्रतिवादीगण अधिकारी है अतः प्रस्तुत तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेर की ओर से वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट (दिनांक 28/07/25) निरस्त फरमाई जाकर पुनः कुरेजात रिपोर्ट तलब फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र आपत्ति का जवाब प्रस्तुत [signature]	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	15/09/25	कर जवाब प्रार्थनापत्र आपत्ति में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा असत्य व मनगढंत तथ्यों के आधार मात्र पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका वास्तविकता व वास्तविक मौका स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय हाजा के निर्देशों की तथा विधिक विभाजन के प्रावधानों की पूर्णतः समुचित पालना अनुसार तथा पक्षकारान के हितों व कब्जा काश्त के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रार्थीगण की यह आपत्ति आधारहीन है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मौके पर तहसीलदार आमेर के निर्देशन में तैयार नहीं की गई है। जबकि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार आमेर के निर्देशन में पटवारी हलका व गिरदावर द्वारा मौके पर तैयार की गई है जो कि स्वयं पक्षकारान की उपस्थिति में व मौका/कब्जा अनुसार तथा स्वयं पक्षकारान की सुविधाओं व सुझावों के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के एक ही परिवार के सदस्य (सगे भाई) होने प्रतिवादीगण के हिस्से को शामलाती रखा गया है। जो कि स्वयं प्रार्थीगण के निवेदन/सहमति अनुसार किया गया है तथा इस बाबत (आपत्ति) प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से विधिवत [signature]	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप **बनाम** कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/09/25	प्रक्रिया के अन्तर्गत ना तो कोई अभिकथन किया गया है, ना ही स्वयं के (प्रतिवादीगण के) पृथक-पृथक खाता कायम किया जाने बाबत कोई प्रतिवाद ही प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त भी स्वयं प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनों के अन्तर्गत स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त ख.नं. 221 व 222 पर स्थित है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण वादीगण के खसरा नं. 178, 186 पर कब्जा काश्त को नकारा भी नहीं गया है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि की अखंडता व समग्रता एवं सुविधा के दृष्टिगत खसरा नं. 221, 222 व 223 के अनुसार एकजाई रूप से भूमि व खाता प्रस्तावित किया गया है एवं इसी प्रकार वादीगण को भी कब्जा काश्त एवं भूमि की अखंडता व प्रावधानों व हितों की अनुकूलता के दृष्टिगत ही हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को खसरा नं. 178/2 रकबा 0.02 हे. के रूप में भूमि वादीगण को प्रस्तावित भूमि (नक्शा अनुसार) के पूर्व-पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित की गई है वह उक्त स्थान पर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पूर्व से प्रचलित मंदिर (सामाजिक मंदिर) होने के दृष्टिगत प्रस्तावित की गई है तथा प्रचलित मंदिर होने की वजह से ही प्रतिवादीगण के हितों, आस्था व उपयोग के दृष्टिगत ही	

P.T.O.

[illegible]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप **बनाम** कालूराम व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/09/25	शामलाती रूप से प्रस्तावित की गई है जो आपत्ति का आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार तहसीलदार आमेर की ओर से रकबा, खाते की अखंडता, भूमि एकजाई की सुविधा, कब्जा काश्त आदि सभी आवश्यक पहलुओं के दृष्टिगत ही कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होकर पक्षकारान के हितों, सुविधाओं व विधि के प्रावधान के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आपत्ति पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे तथा कुरेजात प्रस्ताव / रिपोर्ट अनुसार बाबत वादीगण अंतिम डिक्री फरमाया जावे। हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार आमेर की ओर से विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत पक्षकारान को पूर्व सूचित किया जाकर मौका स्थिति व विधि प्रावधानों के दृष्टिगत कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारान को विधिवत जारी नोटिसों की तामील रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर नियत तारीख पेशी के अन्तर्गत वादीगण, तहसीलदार, भू निरीक्षक गिरदावर,	

P.T.O.

[illegible]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/09/25	व पटवारी हल्का के भी हस्ताक्षर मय दिनांक स्पष्ट अंकित है। इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण की मंशा पर तहसीलदार कार्यालय कर्मचारीगण तथा पंजाबात की उपस्थिति बाबत आपत्ति उचित व पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त भी जबकि स्वयं प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं का कब्जा काश्त खसरा नं. 221, 222 के अन्तर्गत स्थित होना अभिकथन किया गया हो तथा उक्त अभिव्यक्ति अनुसार ही उक्त खसरा नं. प्रार्थीगण को प्रदत्त भी किया गया हो। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की उक्त संदर्भ में भी आपत्ति उचित व पोषणीय सिद्ध व प्रतीत नहीं होती है तथा ख.नं. 221 व 222 पर स्वयं स्वीकार्य कब्जे काश्त के दृष्टिगत शेष अपेक्षित रकबा अनुसार तथा भूमि की आवंटन व इकजाईता के दृष्टिगत सर्वोत्तम विकल्प के रूप में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को प्रदत्त किया गया है जिसका कोई अन्य विकल्प प्रार्थीगण/वादीगण के प्रचलित कब्जा काश्त के दृष्टिगत प्रार्थीगण को उपलब्ध होना संभव है। जहां तक प्रश्न प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का हिस्सा शामलाती प्रस्तावित किया जाने का है तो उक्त संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को निरन्तर जवाब वादपत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति अथवा किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हेतु विभिन्न अवसर प्रदान किए गए हैं। जिनकी पालना में कोई समुचित खंडन व अभिव्यक्ति P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 39/2025

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/09/25	प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके किसी मान्य सबूत आपत्ति व खंडन के अभाव में वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसके उपरान्त भी कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्ति से पूर्व तक भी प्रार्थीगण की ओर से सुसंगत अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ना ही स्वयं के भी (प्रतिवादीगण) पृथक पृथक खाता विभाजन हेतु कोई कथन/निवेदन किया गया जबकि वादीगण द्वारा मात्र स्वयं की अभिलिखित खातेदारिता/सहखातेदारिता अनुसार स्वयं के पृथक खाता बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है तथा अपेक्षित अनुतोष बाबत कोई कथन/प्रतिवाद प्रतिवादीगण द्वारा अपेक्षित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि अपने प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं ही अपने शामलाती कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग को स्वीकार किया गया है जिसके अनुरूप ही कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त संदर्भ में अब आपत्ति किया जाना उचित व पोषणीय नहीं होने से उक्त संदर्भ में आपत्ति खारिज की जाती है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक आधार/प्रस्तावित (नवीन) ख.नं. 178/2 के रूप में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को आंशिक भाग भूमि के रूप में रकबा 0.02 हे. के रूप में पृथक से विपरीत दिशा में अन्यत्र स्थान पर हिस्सा दिया जाने का है तो उक्त P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	15/09/25	संदर्भ में विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विशिष्ट हिस्सा प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के प्रचलित (सामाजिक) मंदिर होने के आधार पर तथा अपेक्षित रकबा पूर्ति के दृष्टिगत मांग किया गया है। जो कि प्रार्थीगण की आस्था व सहमति की आवश्यकता के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है जो विशिष्ट परिस्थिति के दृष्टिगत उचित व आवश्यक भी प्रतीत होता है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा औपचारिक व असत्य कथनों के आधार मात्र विधिवत प्रक्रिया व प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट को आक्षेपित कर अतार्किक आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसके आधार बिन्दुओं के सन्दर्भ में कोई मान्य/सक्षम साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि अवलोकन अनुसार, प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिसम्मत आधार पर व पक्षकारान के हितों व सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो तथ्यों की तुलना में उचित व विधिसम्मत प्रतीत होती है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आपत्ति पोषणीय प्रतीत नहीं होने से प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। ह./- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर P.T.O.	

फर्द अहकाम

प्रदीप बनाम कालूराम व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 39/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	15/09/25	पत्रावली फैसल शुमार होकर रजि. नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। ह./- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**
वाद संख्या : 39/2025 **निर्णय दिनांक : 18.09.2025**

1. प्रदीप कुमार पुत्र महादेव प्रसाद
2. संदीप पुत्र महादेव प्रसार

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी 55, जगदम्बा कॉलोनी, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र बालूराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम
3. प्रभूदयाल पुत्र बालूराम
4. बनवारी लाल पुत्र बालूराम
5. बंशीधर पुत्र देवाराम
6. श्रवण लाल पुत्र भगवान सहाय
7. सुगनचंद पुत्र भगवान सहाय

   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रंबधक, शाखा चंदवाजी, तहसील आमेर।
9. कार्पोरेशन बैंक, जरिये शाखा प्रंबधक, शाखा चंदवाजी, तहसील आमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व तथ्यो के समग्र विवेचन से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया अनुसार व प्रावधानो एवं पक्षकारान हितों के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है जिसके बाबत प्रार्थी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है वह आधारहीन व औपचारिक कथनों मात्र के आधार पर प्रस्तुत की गई है। जिसके संदर्भ में कोई विशिष्ट साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि स्वयं प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा वाद अधीन खसरा नं. 221, 222 पर स्वयं के कब्जेकाश्त को स्वीकार किया गया जिसके दृष्टिगत ही उक्त भूमि प्रार्थीगण को प्रदत्त भी की गई है तथा तदानुसार ही पक्षकारान के कब्जा काश्त व पक्षकारान के हितों के दृष्टिगत ही उपयुक्त विभाजन अनुसार करेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय/डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कालूराम पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, प्रभुदयाल पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, बनवारी लाल पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, बंशीधर पुत्र देवाराम हि. 13/420, श्रवणलाल पुत्र भगवान सहाय हि. 1/8 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, सुगनचंद पुत्र भगवान सहाय हि. 1/8 राहिन कॉर्परेशन बैंक शाखा चंदवाजी (ख.नं. 178 राहिन) जाति अहीर सा. देह खातेदार, प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र महादेव प्रसाद शर्मा हि. 197/840, संदीप शर्मा पुत्र महादेव शर्मा हि. 197/840, जाति जागिंड ब्राह्मण निवासी 55 जगदम्बा कॉलोनी ढेहर के बालाजी सीकर रोड जयपुर खातेदार	178 186	0.80 0.25	बारानी A बारानी A	6.80 2.13
	कुल किता	2	1.05	—	—

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

2	कालूराम पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, प्रभुदयाल पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, बनवारी लाल पुत्र बालूराम हि. 1/16 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, श्रवणलाल पुत्र भगवान सहाय हि. 1/4, बंशीधर पुत्र देवाराम हि. 1/8 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, सुगनचंद पुत्र भगवान सहाय हि. 1/8 राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा सा.देह खातेदार, प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र महादेव प्रसाद शर्मा हि. 1/8, संदीप शर्मा पुत्र महादेव शर्मा हि. 1/8, जाति जागिड ब्राह्मण निवासी 55 जगदम्बा कॉलोनी ढेहर के बालाजी सीकर रोड जयपुर खातेदार	221 222 223	0.62 0.60 0.91	बारानी A चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1	5.27 17.40 1.93 26.27 2.98
	कुल किता	3	2.13		

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
	संदीप शर्मा पुत्र महादेव शर्मा हि. 1/2, प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र महादेव प्रसाद शर्मा हि. 1/2, जाति जागिड ब्राह्मण निवासी 55 जगदम्बा कॉलोनी ढेहर के बालाजी सीकर रोड जयपुर खातेदार	178/1 186	0.7750 0.25	बारानी A	6.5875 2.13
	कुल किता	2	1.025	–	8.7175
2	कालूराम पुत्र बालूराम हि. 159/1724 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम हि. 159/1724 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, प्रभुदयाल पुत्र बालूराम हि. 159/1724 राहिन पी.एन. बी शाखा चंदवाजी, बनवारी लाल पुत्र बालूराम हि. 159/1724 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, श्रवणलाल पुत्र भगवान सहाय हि. 318/1724 राहिन पी.एन.बी शाखा चंदवाजी, बंशीधर पुत्र देवाराम हि. 113/431, सुगनचंद पुत्र भगवान सहाय हि. 318/1724 (राहिन हि. 20/431) राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा चंदवाजी जाति अहीर सा.देह खातेदार,	178/2 221 222 223	0.0250 0.62 0.60 0.91	बारानी A बारानी A चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1	0.2125 5.27 17.40 1.93 26.27 2.98
	कुल किता	4	2.155	–	54.0625

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.09.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर